

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती एवं संतकबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आये भीषण आंधी-तूफान/चक्रवात से क्षतिग्रस्त विद्युत पोल व लाईनों की मरम्मत/पुनर्स्थापना में हुए व्यय के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंधी-तूफान एवं चक्रवात से क्षतिग्रस्त विद्युत पोल व लाईनों की मरम्मत/पुनर्स्थापना में हुए व्यय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु0 28,13,637/- (रूपये अठाईस लाख तेरह हजार छः सौ सैतीस मात्र) की धनराशि** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम/ पत्र संख्या व दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	बस्ती, पत्रांक-1191/आपदा सहायक- बस्ती/ 2020-21, दिनांक 11.11.2020	13,84,386.00
2	सन्तकबीर नगर, पत्रांक- 6165/ आपदा, दिनांक 11.11.2020	14,29,251.00
	योग	28,13,637.00
रूपये अठाईस लाख तेरह हजार छः सौ सैतीस मात्र		


(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि के उपयोग में भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 में निर्धारित मानक/दरों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगमे0 ऐन्जल डोकोर-35 कृष्णा बिहार, फैजाबाद रोड, चिनहट द्वारा जनपद-बस्ती के विद्युत वितरण खण्ड हरैया तथा जनपद-सन्तकबीरनगर के विद्युत वितरण खण्ड खलीलाबाद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 आंधी-तूफान/चक्रवात से क्षतिग्रस्त विद्युत पोल/विद्युत लाईनों की मरम्मत/पुनर्स्थापना के संबंध में कराये गये कार्यों के लम्बित भुगतान हेतु ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-03-चक्रवात राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

 (राम केवल)
 विशेष सचिव।

संख्या- 991(1)/एक-10-2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
- 2- मण्डलायुक्त, बस्ती, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, शास्त्री भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
- 5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती/सन्तकबीर नगर, उ0प्र0।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
 उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-29/12/2020

प्रेषण संख्या:- 991
आवंटन आदेश संख्या:- 208-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
03 - चक्रवात राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1384386 1384386	1384386 1384386
2	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1429251 1429251	1429251 1429251
	योग	वर्तमान प्रगामी	2813637 2813637	2813637 2813637

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस लाख तेरह हजार छः सौ सैंतीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस लाख तेरह हजार छः सौ सैंतीस

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन